बिहार सरकार

वित्त (अंकेक्षण) विभाग

सारण प्रमण्डल छपरा

अंकेक्षण प्रतिवेदन संख्या – 134/09–10

1. **परिचयात्मक :–**

(क) अंकेक्षित लेखा का नाम – जिला ग्रामीण विकास अभिकरण सारण, छपरा।

(ख) अंकेक्षणान्तर्गत लेखावधि – वर्ष 2005–06 एवं 06–07

(ग) प्रशासी विभाग का नाम – ग्रामीण विकास विभाग, बिहार ,पटना।

(घ) अंकेक्षण अवधि के नियंत्री

पदा0 का नाम पदनाम और कार्यकाल –1. श्री नृपति मंडल – 21.2.04 से 23.05.05
उपविकास आयुक्त

2. श्री शिवानन्द झा – 23.5.05 से 11.02.06
उपविकास आयुक्त

3. श्री एस0 के0 सिंह –11.02.06 से 09.12.06
उपविकास आयुक्त

4.श्री प्रकाश कुमार – 25.12.06 से अद्यतन
उपविकास आयुक्त

5. श्री गरीब साहु– 16.01.04 से 31.01.07
निदेशक

(ङ.) अंकेक्षणान्तर्गत अवधि में लेखा
के प्रभारी पदाधिकारियों का नाम,
पदनाम एवं कार्य काल – इस प्रतिवेदन के परिशिष्ट ''क'' पर उलिलखित है।

(च) अंकेक्षण में सहयोग देने वाले
पदा0 का नाम एवं पदनाम – श्री देव कुमार भट्ठ, लेखापाल

(छ) वरीय अंकेक्षकों के नाम – 1. श्री हरेन्द्र माँझी व0 अं0 –2
2. श्री सत्येन्द्र कुमार शर्मा व0 अं0 –2

(ज) अंकेक्षण प्रारंभण तिथि — 22.12.08

(झ) अंकेक्षण समापन तिथि — 29.06.09

(ञ) अंकेक्षण में व्यतित कार्य दिवस — 40 कार्य दिवस

(ट) अंकेक्षण में प्रस्तुत/अप्रस्तुत

अभिलेखों की सूची — इस प्रतिवेदन के परिशिष्ट के ''ख'' पर संलग्न है।

(ठ) **अंकेक्षण का क्षेत्र :–**

वित्त विभागीय ज्ञापांक 3286 दिनांक 15.9.60 एवं वित्त (अंकेक्षण) विभागीय कार्यालय आदेश सं0 159 दि0 5.8.2008 में निहित निदेश के आलोक में इस लेखा का ''सामान्य'' अंकेक्षण उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर सम्पन्न किया गया। अंकेक्षित अवधि में कोषागार से निकासी एवं जमा किये गये राशियों का सत्यापन जिला कोषागार कार्यालय छपरा के कोषागार सिडयुल कम्प्यूटर स्क्रीन एवं कम्प्यूटर द्वारा निर्गत सूची से शत–प्रतिशत किया गया एवं सभी राशियों का प्रविष्टि सम्बन्धित सहायक रोकड़ पुस्त में पायी गई।

जिला ग्रामीण विकास अभिकरण सारण,छपरा पूर्व में लधु कृषक विकास अभिकरण के रूप में वर्ष 1975 से 31.3.81 तक कार्यरत था। पंचायती राज विभाग, बिहार पटना के पत्रांक 5089 दिनांक 15.06.80 के आलोक में दि0 1.4.81 से अभिकरण के रूप में कार्यरत हुआ। यह अभिकरण सोसाईटी एकट 1860 के अन्तर्गत निबंधित है, जिसका निबंधन सं0 1095/75.264 है।

इस कार्यालय का मुख्य उद्देश्य विभिन्न स्त्रोतों से प्राप्त आय (यथा केन्द्रांश एवं राज्यांश को गरीबी उन्मूलन से संबंधित योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु राशि विभिन्न कार्यालयों/कार्यऐजेन्सियों को उपलब्ध कराना एवं उनकी निगरानी, गुणवता एवं प्रगति पर ध्यान रखना है, परन्तु जिला ग्रामीण विकास अभिकरण सारण छपरा द्वारा अपने कर्त्तव्यों एवं दायित्वों का निर्वहन समुचित ढंग से किया हुआ नही पाया गया। अंकेक्षण के क्रम में पाया गया कि विभिन्न कार्यालयों /कार्य ऐजेन्सियों को भुगतान की गई परन्तु उनकी उपयोगिता, निगरानी,गुणवता एवं प्रगति पर नियंत्रण नही रखा गया।

पूर्व के अंकेक्षण प्रतिवेदनों की माँग करने पर कोई भी अंकेक्षण प्रतिवेदन अंकेक्षण में प्रस्तुत नही किया गया, जिसके कारण पूर्व के अंकेक्षण प्रतिवेदन के कंडिकाओं का अनुपालन नही हो सका।

अंकेक्षण में समुचित ढंग से सहयोग नही मिलने के कारण अंकेक्षण दल को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा चुनाव कार्य के कारण अंकेक्षण कार्य समय–समय पर बाधित हुआ।

(ड़) **वित्तीय परिशंसा –**

अंकेक्षित अवधि से संबंधित आवंटन एवं व्यय की विवरणी कार्यालय द्वारा उपलब्ध करायी गयी जो अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिशिष्ट– ''ग एवं घ '' पर द्रष्टव्य है, जिसके अवलोकन से स्पष्ट होगा कि प्राप्त आवंटन के अन्तर्गत व्यय दर्शाया गया था।

कार्यालय द्वारा प्राप्त आवंटन एवं व्यय विवरणी वर्ष 05–06 के अवलोकन से ज्ञात होगा कि प्रारंभण शेष की राशि रू0 50070315.24 थी। केन्द्रांश रू0 328182000.00 एवं राज्यांश रू0 261787142.00 का आंवटन विभिन्न योजनाओं के संचालन हेतु प्राप्त हुआ था, जिसमें अन्य प्राप्ति रू0 261787142.00 एवं सूद की राशि रू0 2495378.00 को जोड़कर कुल राशि रू0 653887182.14 के विरूद्ध रू0 578187054.84 का व्यय किया गया था एवं रू0 75700127.30 का बचत दिखलाया गया था जिससे यह पता चलता है कि योजनाओं के कार्य की प्रगति धीमी होती जा रही है।

इसी प्रकार वर्ष 06–07 में प्रारंभ्भण शेष रू0 75700127.30 थी, केन्द्रांश रू0 355222500 एवं राज्यांश रू0 488866653.00 विभिन्न योजनाओं के संचालन हेतु प्राप्त हुआ था। जिसमें अन्य प्राप्ति रू0 15880776.00 एवं सूद की राशि 2618634.15 को जोड़कर कुल राशि रू0 938288690.45 के विरूद्ध रू0 822393997.50 का व्यय किया गया था, एवं बचत रू0 115894692.95 का दिखलाया गया था, जिससे यह पता चलता है कि पूर्व वर्ष से भी योजनाओं के कार्य की प्रगति उत्तरोतर धीमी होती जा रही है जिसकी ओर प्रशासी विभाग एवं सरकार का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है।

बचत राशि का प्रत्यर्पण नही पाया गया बचत राशि के सम्बन्ध में बतलाया गया कि योजनाओं की राशि के प्रत्यर्पण का प्रवधान नही है एवं उक्त राशि को लम्बित योजनाओं के कार्यन्वयन में व्यय करना है।

2. रू0 66977.00 का संभाबित गबन :–

जिला ग्रामीण विकास अभिकरण सारण, छपरा के द्वारा विभिन्न योजनाओं के लिये प्रखण्डों को उपांवटित राशियों के सत्यापन में पाया गया कि सुनिश्चित रोजगार योजना के सहायक रोकड़ पुस्त से रू0 66,977.00 की राशि चेक सं0 256508 दिनांक 3.9.05 द्वारा प्रखण्ड –मकेर –को उपांवटित किया गया था, परन्तु उक्त राशि प्रविष्टि प्रखण्ड कार्यालय मकेर के संबंधित सहायक रोकड़ पुस्त के आय पक्ष में नही पायी गयी। इस संबंध में निर्गत आपत्ति का कोई प्रत्युत्तर नही दिया गया।

अतः रू0 66977.00 की संभावित गबन की ओर प्रशासी विभाग के उच्चाधिकारियोंका ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है कि इस संबंध में उचित छानबीन कर ली जाय तथा की गई कार्रवाई से वित्त (अंकेक्षण) विभाग, बिहार, पटना को अवगत कराया जाय।

3. रू0 1,05,703.00 वेतन मद में गलत वेतन निर्धारण के फलस्वरूप अनियमित भुगतान वसूली योग्य :–

श्री लालबाबू सिंह लिपिक के सेवापुस्त की जाँच क्रम में पाया गया कि इनकी नियुक्ति दिनांक 27.4.76 को जिला ग्रामीण विकास अभिकरण ,सारण,छपरा में निम्न वर्गीय लिपिक (एल0 डी0 सी) के रूप में पायी गई तथा श्री सिंह दिनांक 1.1.1986 को रू0 725.00 (वेतन मान् 580–10–620–15–770 ई0 वी0 15–860) पर कार्यरत थे। चतुर्थ वेतन पुनरीक्षण समिति को अनुशंसा के आलोक में 1200–30–1800 में इनका

वेतन निर्धारण – मूल वेतन – 725.00

54% महगाई भत्ता + 391.50

1116.50

फिटमेंट वेटेज +

35% (मूल वेतन का) – 253.75

1370.25

की कुल परिलाब्धि के आधार पर रू0 1380=00 दिनांक 1.1.86 को निर्धारित किया गया। पुनः 27.4.86 को प्रथम कालबद्ध प्रोन्नति के पश्चात् कनीय प्रवर कोटि का लाभ देते हुए श्री सिंह को वेतन मान् 1400–40–1800–50–2300 को निम्न प्रकार निर्धारित किया गया।

दि0 27.4.86 को मूलवेतन 1380.00

+ 12% या150.00 जो कम हो – 150.00

1530.00

के अगले प्रकम पर 27.4.86 – 1560.00

27.4.87 – 1600.00

27.4.95 – 1950.00

(1600+40X5+50 X3)

27.4.96 – 2000.00 निर्धारित किया गया फिटमेंट कमिटि वेतनमान् वित्त विभागीय संकल्प सं0 660 वि0(2) दि0 8.02.99 के आलोक में श्री सिंह का वेतन कनीय प्रवर कोटि प्रथम काल बद्ध का लाभ देते हुए वेतन मान् 4500–125–7000 में निम्न प्रकार निर्धारित किया गया

मूलवेतन – 1.1.96 – 1950.00

27.4.95 के आधार पर

+ महँगाई भत्ता – 148% – 2886.00

+ अन्तरिम सहयता 10% +100 – 295.00

+ फिटमेंट वेटेम 40% – 780.00 कुल परिलाब्धि 5911.00

वेतनमान् 4500–125–7000 में 1.1.96 – 6000.00

27.4.96 – 6125.00

27.4.97 – 6250.00

27.4.99 – 6500.00

निर्धारित किया गया।

बिहार सरकार वित्त विभाग सं0 3 एम0 2–5 भी0 ई0 – पी भू0 01/99–660 की कंडिका 11 में यह उल्लिखित है कि राज्य सरकार ने वित्त विभाग के संकल्प सं0 6021 दि0 18.12.89 की कंडिका 10 और 12 में समाप्त करने का निर्णय लिया है और वे दि0 1.1.96 से तथा उसके बाद इन वेतनमानों में लागू नही रहेगी। अतः उक्त नियम के आलोक में श्री सिंह का वेतन 4000–100–6000 के वेतनमान् में निम्न प्रकार से निर्धारित होना चाहिए था।

1.1.96 की मूलवेतन – 1950.00

(27.4.95 के आधार पर)

+ महँगाई भत्ता 148% – 2886.00

+ अन्तरिम सहयता – 295.00

(वेतन का 10% + 100)

+ फिटमेंट वैटेग 40% – 780.00

5911.00

अतः 5911.00 की कुल परिलब्धि पर वेतनमान् 4000–100–6000 में निम्नप्रकार से निर्धारित होना चाहिए था।

1.1.96 – 6000.00

27.4.96	—	6000.00
27.4.97	—	6100.00
27.4.98	—	6100.00
27.4.99	—	6200.00
27.4.2000	—	6200.00
27.4.2001	—	6300.00

इस प्रकार गलत वेतन निर्धारण के फलास्वरूप श्री लालबाबू सिंह लिपिक को रू0 1,05,703.00 का अधिक भुगतान वेतन मद में पाया गया जिसकी विस्तृत विवरणी परिशिष्ट – ''छ'' पर उल्लिखित है।

अतः प्रशासी विभाग के उच्चाधिकारियों का ध्यान इस ओर आकृष्ट करते हुए अंकेक्षण का सुझाव है कि सम्बंधित उत्तरदायी व्यक्ति से रू0 105703.00 वसूल कर सरकारी कोष के उचित शीर्ष में जमा कर दिया जाय तथा इसकी सूचना वित्त (अंकेक्षण) विभाग, बिहार पटना को दिया जाय।

4. <u>रू0 17371.00 समाचार पत्र के खरीदगी पर अनियमित व्यय वसूली योग्य –</u>

शीर्ष जिला ग्रामीण विकास अभिकरण स्थापना एवं आकस्मिकता रोकड़ पुस्त की जाँच में पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2005–06 एवं 06–07 में क्रमशः रू0 9227.00 एवं रू0 8144.00 कुल रू0 17371.00 का व्यय हिन्दुस्तान,हिन्दुस्तान टाइम्स, आज, दैनिक जागरण इत्यादि समाचार पत्रों के खरीदगी पर किया गया था, जिसकी पूर्ण विवरणी परिशिष्ट ''ज'' संलग्न है।

वित्त विभाग के ज्ञापांक बी0 टी0/7316658 वित्त/पटना दिनांक 4.6.65 एवं 7748 दि0 01.08.75 के द्वारा निर्देश दिया गया था, कि माह जून 75 के बाद से समाचार पत्रों की खरीदगी पर सरकारी कोष से व्यय अनियमित है।

इस प्रकार समाचार पत्रों पर व्यय की गयी राशि रू0 17371.00 संबंधित उत्तरदायी व्यक्ति से वसूल कर सरकारी कोष के उचित शीर्ष में जमा कर वित्त (अंकेक्षण) विभाग बिहार ,पटना को सूचित किया जाय।

5. रू0 560.00 वेतन मद में अधिक भुगतान वसूली योग्य :–

महिला प्रसार पदा0 के वेतन भुगतान पंजी की जाँच में पाया गया कि श्री मति वीणा कुमारी म0 प्र0 पदा0 को वेतन भुगतान पंजी के पृ0 सं0 42 पर वि0 सं0 17,18,/4.05.05 के द्वारा अगस्त 04 एवं सितम्बर 04 (दो माह) के लिये उपार्जित अवकाश का वेतन भुगतान रोकड़ पुस्त में दि0 8.4.05 को मूल वेतन का 59 प्रतिशत की दर से महँगाई भत्ता रू0 4130.00 किया गया था, जबकि उक्त माह के लिये महँगाई भत्ता मूल वेतन का 55 प्रतिशत की दर से रू0 3850.00 ही देय था। चुँकि वि0 सं0 283/3.4.05 में श्री मति कुमारी को महँगाई भत्ता जुलाई 03 से सितम्बर 04 तक का बकाया महँगाई भत्ता बढ़ोतरी 4 प्रतिशत का भुगतान इस विपत्र बनने के पूर्व की कर दिया गया था।

इस प्रकार महँगाई भत्ता मद में माह अगस्त '04 एवं सितम्बर ' 04 में रू0 (4130–3850) = 280 की दर से कुल (280X2)= 560.00 का अधिक भुगतान किया गया था।

अतः अधिक भुगतान की राशि रू0 560.00 संबंधित उत्तरदायी व्यक्ति से वसूल कर उचित शीर्ष में जमा कर वित्त (अंकेक्षण) विभाग, बिहार पटना को सूचित किया जाय।

6. रू0 400.00 का अधिक भुगतान वसूली योग्य :–

राज्य गांरटी योजना के अभिश्रवों की जाँच में पाया गया कि न्यूट्ल पब्लिसिंग हाउस लिमिटेड द्वारा विपत्र सं0 231 एवं 232/06–07 के द्वारा कुल रू0 14,430.00 को भुगतान दि0 29.07.06 को किया गया था, जबकि 231 एवं 232/06–07 में रू0 14030.00 का अभिश्रव में दावा किया गया था।

इस प्रकार रू0 (14430–14030)= 400.00 का अधिक भुगतान रोकड़ पुस्त में (अभिश्रव में दाबा किए गए कुल राशि से ज्यादा) किया गया था। उक्त अधिक भुगतान की राशि रू0 400.00 की वसूली सम्बन्धित उत्तरदायी व्यक्ति से कर उचित शीर्ष में जमा कर वित्त (अंकेक्षण) विभाग, बिहार, पटना को अवगत कराया जाय।

7. रू0 51.00 का अधिक व्यय वसूली योग्य :–

(क) रू0 18.00 का अधिक व्यय वसूली योग्य :–

जिला ग्रामीण विकास अभिकरण छपरा के स्थापना के सहायक रोकड़ पुस्त के योग एवं संतुलन की जाँच में पाया गया कि दिनांक 21.9.05 को व्यय पक्ष में रू0 46,281.00 अंकित पाया गया परन्तु वास्तविक योग्य रू0 46,263.00 होता है। इस प्रकार (46281–46263)= 18.00 का अधिक व्यय दिखलाया गया है।

(ख) रू0 20.00 का अधिक व्यय वसूली योग्य :–

म0 प्र0 पदा0 के वेतन भुगतान पंजी की जाँच में पाया गया कि श्री प्रभा मति कुमारी को बकाया महँगाई भत्ता का भुगतान विपत्र सं0 58/05–06 के द्वारा दि0 5.5.05 को रू0 2860.00 का किया गया था, परन्तु उक्त तिथि को रोकड़ पुस्त में रू0 2880.00 की प्रविष्टि पायी गयी। इस प्रकार रू0 (2880–2860)= 20.00 का अधिक व्यय रोकड़ पुस्त में अंकित पाया गया।

(ग) रू0 13.00 का अधिक व्यय वसूली योग्य :–

जिला ग्रामीण विकास अभिकरण स्थापना के अभिश्रवों की जाँच में पाया गया कि श्री अजय कुमार सह0 परि0 पदा0 के यात्रा भत्ता विपत्र की राशि रू0 3779.00 का भुगतान विपत्र सं0 36/05–06 के द्वारा दि0 20.4.05 को किया गया था। परन्तु उक्त तिथि को रोकड़ पुस्त में रू0 3792.00 का व्यय अंकित किया गया था। इस प्रकार रू0 (3792 – 3779) = 13.00 का अधिक व्यय दिखकाया गया।

इस प्रकार (क+ख+ग) = (18.00+20.00+13.00)=51.00 का अधिक व्यय की राशि संबंधित उत्तरदायित्व व्यक्ति से वसूल कर सरकारी कोष के उचित शीर्ष में जमा कर वित्त (अंकेक्षण) विभाग, बिहार पटना को अवगत कराया जाय।

8. अस्थायी अग्रिम रू0 31,91,488.00 असमायोजित :–

अंकेक्षणाधीन अवधि से सम्बन्धित अस्थायी अग्रिम पंजी की जाँच में पाया गया कि पदाधिकारियों ,कर्मचारियों ,सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं को विभिन्न परियोजना हेतु कुल रू0 31,91,488.00 का भुगतान विभिन्न शीर्षो के सहायक रोकड़ पुस्त से किया गया था एवं उन्हें व्यय दिखलाते हुए रोकड़ पुस्त के संवरणा शेष से धटा दिया गया था। ऐसे अस्थायी अग्रिमों का सामंजन नियमानुसार अगले तीन महीने के अभ्यन्तर में कर लेना चाहिए था, परन्तु लम्बे समय तक इन अग्रिमों का सामंजन नही किया जाना धोर आपत्ति जनक

है। वित्तिय वर्ष 2005–06 एवं 06–07 में क्रमशः रू0 13,92,856.00 एवं रू0 17,98632.00 कुल रू0 31,91,488.00 का अस्थायी अग्रिम भुगतान से संबंधित विस्तृत विवरणी इस प्रतिवेदन के परिशिष्ट ''झ'' संलग्न है।

अतः प्रशासी विभाग के उच्चाधिकारियों का ध्यान इस संदर्भ में विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है कि अबिलम्ब उक्त अग्रिमों का सामंजन कराया जाय तथा इसकी सूचना वित्त (अंकेक्षण) विभाग, बिहार ,पटना को दी जाय।

9. रू0 1,38,95,42,674.34 पैसे का उपयोगिता प्रमाण पत्र अप्रस्तुत आपत्तिअन्तर्गत :–

अंकेक्षणाधीन अवधि के अन्तर्गत विभिन्न विकास योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु इस कार्यालय द्वारा अन्य कार्यालयों एवं कार्यएेजेन्सियों को बैंक चेक के माध्यमों से राशि दी गयी थी, परन्तु योजनाओं की प्रगति प्रतिवेदन, गुणवत्ता एंव उपयोगिता प्रमाण –पत्र अंकेक्षण आपत्ति निर्गत करने बाद भी अंकेक्षण में प्रस्तुत नही किया गया जिसकी विस्तृत विवरणी परिशिष्ट ''ञ'' दी गयी है।

उक्त राशि के व्यय से संबंधित उपयोगिता प्रमाण पत्र नियम –बिहार वित्त नियमावली भाग–1 का नियम 341 के अनुसार अंकेक्षण को उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य है, जिसका पालन सक्षम पदाधिकारी द्वारा नही किया गया फलतः रू0 1,38,95,42,674.34 पैसे के राशि को आपत्ति अन्तर्गत रखा जात है। इस संबंध में निर्गत आपत्ति का प्रत्युत्तर नही दिया गया।

अतः प्रशासी विभाग के उच्चाधिकारियों एवं सरकार का ध्यान सक्षम पदाधिकारी के गंभीर कर्त्तव्य हीनता की ओर विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है साथ ही की गयी कार्रवाई से वित्त (अंकेक्षण) विभाग को अवगत कराया जाय।

10. रू0 5,50,156.00 गाड़ी के ईधन से संबंधित व्यय आपत्ति अन्तर्गत :–

जिला ग्रामीण विकास अभिकरण स्थापना के रोकड़ पुस्त की जाँच मे पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2005–06 एवं 06–07 में विभिन्न तिथियों को विभिन्न अभिश्रवों के माध्यम से गाड़ियों के लिए क्रमशः रू0 (3,91,824.00+158332.00)= 5,50156.00 ईधन का क्रय किया गया था, जिसके भुगतान की प्रविष्टि रोकड़ पुस्त में विभिन्न तिथियों को की गयी थी। जिसकी विस्तृत विवरण परिशिष्ट ''ट'' पर उल्लिखित है। उक्त अभिश्रव से सम्बन्धित गाड़ियों का

लौग बुक अंकेक्षण में प्रस्तुत नही किया गया, जिससे ईधन क्रय की औचित्यता संदिग्ध प्रतीत होता है। इस सम्बन्ध में निर्गत आपत्ति का कोई प्रत्युतर नही दिया गया।

इस प्रकार गाड़ी के ईधन के क्रय से सम्बन्धित रू0 5,50,156.00 के अभिश्रवों के भुगतान को आपत्ति अन्तर्गत रखा जाता है। प्रशासी विभाग के उच्चाधिकारियों का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया जाता है, कि अपने स्तर पर जाँच कर ली जाय एवं की गयी कार्रवाई से वित्त (अंकेक्षण) विभाग, बिहार पटना को अवगत कराया जाय।

11. रू0 127546.00 की राशि आपत्तिअन्तर्गत :–

(क) अंकेक्षित अवधि वर्ष 05–06 एवं 06–07 के अन्तर्गत शीर्ष एस जी0 एस0 वाई0 एवं एस0 जी0 आर0 वाई योजना से संबंधित आकस्मिक अभिश्रवों की जाँच में पाया गया कि विभिन्न तिथियों से प्रखण्ड वि0 पदाधिकारियों की बैठक, बैंक कर्मियों की बैठक, सोनपुर मेला का उद्घाटन एवं अन्य अवसरों पर 1,09,895.00 का व्यय नास्ता,चाय, मिठाई कॉफी ,पेड़ा ,लस्सी एवं मिनिरल वाटर इत्यादि पर पाया गया जिसकी पूर्ण विवरणी प्रतिवेदन ''ठ'' पर संलग्न है। ज्ञातव्य है कि बैठक में सम्मिलित होने वाले पदाधिकारी एवं कर्मचारी को सरकारी प्रवधानों के अनुसार यात्रा भत्ता की सुविधा प्राप्त है। ऐसी परिस्थिति में उनके स्वागतार्थ इतनी बड़ी राशि व्यय किया जाना सरकारी कोष का दुरूपयोगग है। इस तरह का व्यय अमान्य है।

अतः प्रशासी विभाग के उच्चाधिकारियों का ध्यान इस ओर तरह के अनियमित व्यय की ओर आकृष्ट करते हुए समुचित कार्रवाई करने का सुझाव दिया जाता है। तब तक उक्त राशि को आपत्ति के अन्तर्गत रखी जाती है एवं की गई कार्रवाई से वित्त (अंकेक्षण) विभाग, बिहार पटना को अवगत करायी जाय।

(ख) शीर्ष एस0 जी0 एस0 वाई (स्थापना) से संबंधित आकस्मिक अभिश्रवों की जाँच में पाया गया कि विभिन्न तिथियों को ऋण वितरण शिविर,सोनपुर मेला,फूल माला पेन्र्टस, टेन्टहाउस, फोटोग्राफी इत्यादि पर रू0 17651=00 व्यय किया था, जिसकी पूर्व विवरणी इस प्रतिवेदन के परिशिष्ट ''ठ'' संलग्न है। परिशिष्ट के अवलोकन से स्पष्ट होगा कि कुछ ऐसे समानों का क्रय भी दर्शाया गया था, जिसका सत्यापन भंडार पंजी के अंकेक्षण में अनुपलब्धता के कारण नही हो सका। इस तरह का व्यय अमान्य है।

अतः प्रशासी विभाग के उच्चाधिकारियों का ध्यान इस अनियमित व्यय की ओर आकृष्ट करते हुए समुचित कार्रवाई करने का सुझाव दिया जाता है। तब तक उक्त राशि को आपत्ति अन्तर्गत रखी जाती है साथ ही की गई कार्रवाई से वित्त (अंकेक्षण) विभाग, बिहार, पटना को अवगत कराया जाय।

इस उपकंडिका (क) एवं (ख) के अन्तर्गत क्रमशः रू0 109895.00 एवं 17651.00 कुल 1,27,546.00 की राशि आपत्ति अन्तर्गत रखी जाती है क्योकि इस तरह का व्यय अनियमित है।

बिहार वित्त नियमावली खण्ड –1 के नियम 9(iii) के अनुसार प्रत्येक लोकपदाधिकारी को लोकधन खर्च करने की अपनी शक्ति एवं अधिकार का प्रयोग कर कोई ऐसा आदेश निर्गत नही करना चाहिए ,जिससे किसी व्यक्ति को प्रत्यक्ष का परोक्ष रूप से लाभ हो। साथ ही नियम 10 के अनुसार प्रत्येक विभाग के कार्यालय प्रधान एवं निकासी व व्ययन पदाधिकारी का कर्त्तव्य है, कि वह अपने कार्यालय में वित्तीय सुव्यवस्था और पूर्ण मितव्यतिता का ख्याल रखें। उक्त नियमों के कसौटी पर उपकंडिका (क) एवं (ख) के अन्तर्गत कुल खर्च की राशि रू0 1,27,546.00 वित्त नियमावली के सुसंगत नियमों के प्रतिकूल है।

12. <u>रू0 34,225.00 का भुगतान राशि आपत्ति अन्तर्गत :–</u>

अंकेक्षण अवधि के वित्तीय वर्ष 2005–06 एवं 06–07 के अन्तर्गत शीर्ष एस0 जी0 एस0 वाई से संबंधित आकस्मिकता अभिश्रवों की जाँच में पाया गया कि विभिन्न गाड़ियों में विभिन्न तिथियों को मरम्मति एवं पुर्जो के बदलाव पर रू0 34,225.00 का भुगतान किया गया था, जिसकी विस्तृत विवरणी परिशिष्ट ''ड़'' दी गयी है। मोटर गाड़ी का सरेंडर से संबंधित प्रमाण पत्र एवं गाड़ी का इतिहास पुस्तिका अंकेक्षण में प्रस्तुत नही किया गया।

विदित हो कि वित्त विभाग के ज्ञाप सं0 डी0 पी0 04–08/87–7723 पटना दिनांक 24.12.1988 के अनुसार मोटर गाड़ी पर रू0 500.00 से अधिक व्यय करने के लिये मोटर गाड़ी निरीक्षक को सरेंडर प्रमाण पत्र आवश्यक है। इस सम्बन्ध में निर्गत आपत्ति का उत्तर नही प्रस्तुत नही किया गया। फलतः गाड़ी की मरम्मति एवं पुर्जो के बदलाव पर क्रय किये गये रू0 34225.00 को आपत्ति अन्तर्गत रखा जाता है।

इस प्रकार गाड़ी के प्रभारी पदाधिकारी के उक्त अनाधिकृत व्यय की ओर प्रशासी विभाग के उच्चाधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है, कि उचित कार्रवाई कर फलास्वरूप से वित्त (अंकेक्षज्ञण) विभाग, बिार पटना को अवगत कराया जाय।

13. रू0 22,000.00 सी0 पी0 एफ0 मद का अग्रिम असमायोजित :—

श्री लखन प्रसाद श्रीवास्तव प्रखण्ड पदाधिकारी (उधोग एवं वाणिज्य) को रू0 22000.00 सी0 पी0 एफ0 मद से अग्रिम विपत्र सं0 388 / 05—06 के द्वारा चेक सं0 325719 से दिनांक 23.11.05 को भुगतान किया गया था परन्तु इसकी कटौती वेतन मद से वर्ष 06—07 तक नही की गयी थी। इस संबंध में निर्गत आपत्ति का प्रति उत्तर नही दिया गया।

इस प्रकार श्री लखन प्र0 श्रीवास्तव से रू0 22,000.00 का अग्रिम की कटौती वेतन विपत्र कटौती करके उचित शीर्ष में जमा कर वित्त (अंकेक्षण) विभाग, बिहार पटना को अवगत कराया जाय।

भाग —2

14. 6370 मीट्रिक टन चावल आवंटन के विरूद्ध 4537.154 मीट्रिक टन चावल का उठाव किया जाना घोर आपत्ति जनक :—

जिला ग्रामीण विकास अभिकरण छपरा के वित्तीय वर्ष 2005—06 एवं 06—07 तक की अवधि में खद्यान्न आवंटन से संबंधित संचिका की जाँच में पाया गया कि सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजनान्तर्गत इस कार्यालय को 6370 मीट्रिक टन चावल का आंवटन प्राप्त हुआ था, जिसके विरूद्ध मात्र 4537.154 मीट्रिक टन चावल का उठाव किया गया। चावल उठाव के फलस्वरूप फुड कारपोरेशन आँफ इन्डिया ने सत्यापन हेतु डी0 डी0 सी0 छपरा को विपत्र प्रस्तुत किया था जिसका **विवरण निम्न प्रकार है।**

क्र0 सं0	आर0 ओ0 सं0 / दिनांक	माह का नाम	मात्रा मीट्रिक टन में	दर	राशि
1	ए0 जी0 आरवाई 12 / 05—06 दि0 22.5.06	फरवरी ' 06 फरवरी ' 06	262.869 503.311	13600 13100	3575018 6593374

2	ए0 जी0 आरवाई 12/05–06 दि0 22.5.06	मार्च ' 06	1292.512	14220	183795201
3	ए0 जी0 आरवाई 12/05–06 दि0 22.5.06	अप्रैल '06	63.000	13700	863100
4	ए0 जी0 आरवाई 12/05–06 दि0 22.5.06	मई '06	677.687	13700	9284312
5	ए0 जी0 आरवाई 12/05–06 दि0 22.5.06	जून '06	1737.775	13700	23807517

योग – 4537.154 **62502842**

उपर्युक्त विवरणी के अवलोकन से स्पष्ट होता है, कि 6,370 मीट्रिक टन चावल के आवंटन के विरूद्ध 4537.154 मीट्रिक टन चावल का उठाव हुआ था। इस प्रकार आवंटन के विरूद्ध (6370–4537.154) = 1832.846 मीट्रिक टन कम चावल का उठाव किस परिस्थिति में और क्यों किया गया था, जबकि आंवटित चावल 6370 मीट्रिक टन का उपावांटन जिला के सभी प्रखंडो को कर दिया गया था जिसे प्रखंड विकास पदाधिकारी के आदेशनुसार डीलरों को उठाव करना था, एवं उठाव संबंधित सत्यापन प्रतिवेदन प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा जिला ग्रामीण विकास अभिकरण छपरा को देना था, परन्तु चावल के उठाव एवं वितरण से संबंधित सत्यापन प्रतिवेदन अंकेक्षण में प्रस्तुत नही किया गया ,जिससे अंकेक्षण को ज्ञात नही हो सका कि किन–किन प्रखंडो को किन–किन तिथियों को कितनी मात्रा में चावल प्राप्त हुआ। इस प्रकार वरीय पदाधिकारियों द्वारा सत्यापन के अभाव में चावल के उठाव एवं वितरण की औचित्यता संदिग्ध बनी हुई है।

अतः प्रशासी विभाग के उच्चाधिकारियों का ध्यान इस ओर विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है,कि उक्त स्थिति की छान– बीन कर संबंधित जिम्मेवार व्यक्ति/व्यक्तियों पर उचित कार्रवाई किया जाय साथ ही साथ आवंटित चावल के विरूद्ध चावल के

उठाव एवं वितरण से संबंधित सत्यापन प्रतिवेदन से वित्त (अंकेक्षण) विभाग, बिहार पटना को अवगत कराया जाय।

15. रू0 56,83,552.34 पैसे विभिन्न शीर्षो में लम्बित राशि के संबंध में :–

रोकड़ पुस्त की जाँच में पाया गया कि रू0 56,83,552.34 पैसे विभिन्न शीर्षो में बिना आय–व्यय के कई बिगत वर्षो से लम्बित चला आ रहा है। उक्त सम्पूर्ण राशि का विवरण निम्न प्रकार है।

क्रम सं0	शीर्ष	राशि
1	कृषि	69386.00
2	बंजर भूमि विकास योजना	331219.00
3	सामाजिक सुरक्षा	1852102.84
4	ओ0 आर0 डी0 पी0	154259.00
5	बालिका समृद्धि योजना	11602.00
6	बुनियादि सेवा संवर्धन योजना	18649.50
7	एन0 आर0 ई0 पी0 (सी0 एन0 एल0)	4,88,327.00
8	आंगन बाड़ी योजना	2618133.00
9	हस्तकरधा बुनकर योजना	139874.00

योग – 56,83,552.34

इस प्रकार रू0 56,83,552.34 को ग्रामीण विकास विभाग से दिशा निदेश प्राप्त कर आवश्यक कार्रवाई कर वित्त (अंकेक्षण) विभग, बिहार ,पटना को सूचित किया जाय।

16. सी0 पी0 एफ0 मद में कटौती निर्धारित दर से कम किया जाना आपत्तिजनक :–

वेतन भुगतान पंजी के जाँच में पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2005–06 एवं 06–07 में कर्मचारियों एवं पदाधिकारियों के मूल वेतन से छः प्रतिशत की दर से कटौती सी0 पी0 एफ0 मद में की गयी थी, परन्तु नियमानुसार सी0 पी0 एफ0 मद में वेतन एवं महँगाई भत्ता का बारह प्रतिशत की दर से कटौती किया जाना चाहिए था एवं कटौती की राशि सहायक भविष्य निधि आयुक्त क्षेत्रीय कार्यालय मुजफ्फरपुर में जमा होना चाहिए था,

परन्तु ऐसा नही करके इस राशि को वरीय पोस्टमास्टर छपरा के पास जमा कर दिया गया।

अतः कर्मचारियों /पदाधिकारियों से सी0 पी0 एफ0 मद में कम कटौती कर अधिक वेतन का भुगतान कर दिया गया इस संबंध में निर्गत आपत्ति का कोई उत्तर अंकेक्षणाधीन अवधि तक नही दिया गया ।

इस प्रकार वर्ष 2005–06 एवं 06–07 के अवधि के लिये कम कटौती की राशि की गणना कर, संबंधित कर्मचारी /पदाधिकारी से वसूल कर, उक्त अवधि के लिये वसूली राशि पर त्याग की भरपाई उत्तरदायी व्यक्ति से करके कुल राशि को सहायक आयुक्त क्षेत्रीय कार्यालय मुजफ्फरपुर को जमा किया जाय साथ ही साथ की गई सम्पूर्ण कार्रवाई से वित्त (अंकेक्षण) विभाग बिहार पटना को अवगत कराया जाय।

17. <u>रू0 1,72,767.00 सामान्य रोकड़ पुस्त के आय एवं व्यय पक्ष में प्रविष्टि नही होना आपत्तिजनक :–</u>

प्रखण्ड प्रशासन सुदृढ़ीकरण सहायक रोकड़ पुस्त से सामान्य रोकड़ पुस्त के सत्यापन के क्रम में पाया गया कि दिनांक 16.9.06 को सहायक रोकड़ पुस्त में रू0 1,72,767.00 अंकित था परन्तु सामान्य रोकड़ में उक्त तिथि को आय –व्यय पक्ष में प्रविष्टि नही पायी गयी। इस संबंध में निर्गत आपत्ति का कोई भी उत्तर नही दिया गया।

इस प्रकार रोकड़ पुस्त के लेखाओं में त्रृटि का होना गंभीर वित्तीय अनियमिता है। उपर्युक्त राशि का सामान्य रो0 पु0 के आय–व्यय पक्ष में उचित लेखांकन कर वित्त (अंकेक्षण) बिहार, पटना को अवगत कराया जाय।

18. <u>रू0 66,633.00 रोकड़ पुस्त के व्यय पक्ष में प्रविष्टि नही किया जाना आपत्तिजनक :–</u>

शीर्ष जिला ग्रामीण विकास अभिकरण आकस्मिकता मद के अभिश्रवों की जाँच में पाया कि विज्ञापन हेतु विभिन्न संस्थाओं को चेक द्वारा कुल रू0 66,633.00 का भुगतान किया गया था, परन्तु उक्त राशि की प्रविष्टि रोकड़ पुस्त के व्यय पक्ष में नही किया गया था, जिसके कारण रोकड़पुस्त का संवरण शेष अधिक हो गया। निर्गत आपत्ति का कोई प्रतिउत्तर अंकेक्षणाधीन अवधि में नही दिया गया।

इस प्रकार रोकड़ पुस्त के लेखाओं में त्रृटि को होना गंभीर वित्तीय अनियमितता है। उक्त राशियों को रोकड़ पुस्त में उचित लेखाकंन कर प्रतिफल से वित्त (अंकेक्षण) विभाग,बिहार पटना को अवगत कराया जाय।

19. <u>बाढ़ सहायक रोकड़ पुस्त दि0 31.3.01 के बाद अद्यतन नही पाया जाना आपत्तिजनक :–</u>

बाढ़ सहायक रोकड़ पुस्त के जाँच में पाया गया कि दिनांक 31.03.01 तक ही संधारण किया गया था। उक्त तिथि को संवरण शेष रू0 4,32,727.17 पैसे अंकित था। दिनांक 02.01.07 को रू0 1,42,029.00 बाढ़ शीर्ष में प्राप्ति से संबंधित बैंक की अधकट्टी रसीद रोकड़ पुस्त में संलग्न था, परन्तु उक्त राशि की भी प्रविष्टि रोकड़ पुस्त के आय भाग में नही पायी गयी।

दि0 1.4.01 से रोकड़ पुस्त का अद्यतन संधारण नही किये जाने कारण उक्त राशि का दुरूपयोग होने की प्रबल संभावना बनी हुई है। प्रशासी विभाग के उच्चाधिकारियों का ध्यान इस घोर वित्तीय अनियमितता की ओर विशेष रूप आकृष्ट किया जाता है, साथ ही साथ यह सुझाव दिया जाता है ,कि रोकड़ पुस्त का अद्यतन संधारण कर प्रतिफल से वित्त (अंकेक्षण) विभाग बिहार पटना को सूचना दी जाय।

20. <u>रू0 200.00 सी0 पी0 एफ मद में जमा करने का सुझाव :–</u>

वेतन भुगतान पंजी की जाँच में पाया गया कि श्री विरेन्द्र कुमार उधोग प्रसार पदा0 के माह अगस्त '05 के वेतन विपत्र सं0 253/05–06 से रू0 (599+599)=1198.00 सी0 पी0 एफ0 में कटौती दिनांक 26.9.05 को किया गया था, परन्तु उक्त पदाधिकारी के संबंधित खाते से रू0 998.00 ही जमा किया गया था। इस संबंध में निर्गत आपत्ति का कोई उत्तर नही दिया गया।

इस प्रकार रू0 (1198–998)–200.00 उचित शीर्ष में जमा कर वित्त (अंकेक्षण) विभाग बिहार,पटना को सूचित किया जाय।

21. <u>निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा लेखा निरीक्षण का अभाव :–</u>

अंकेक्षण के क्रम में पाया गया कि व्ययन एवं निकासी पदाधिकारी द्वारा अंकेक्षित अवधि में कमी भी लेखा का निरीक्षण नही किया गया था। बिहार पर्षद नियमावली के नियम 80 ए(1) के अनुसार हरेक व्ययन पदाधिकारी को महीने में कम से कम एक बार अपने कार्यालय का सविस्तार निरीक्षण करना है, और देखना है कि लेखे विहित रीति से विहित पंजियों में रखे गये है। अतः व्ययन एवं निकासी पदाधिकारी को उक्त नियम के आलोक में अपने दायित्वों को निर्वहन करने का सुझाव दिया जात है।

22. <u>रोकड़ पुस्त के संवरण शेष का भौतिक सत्यापन नही पाया जाना :–</u>

अंकेक्षण के क्रम में पाया गया कि कार्यालय प्रमुख द्वारा अंकेक्षणाधीन अवधि कभी भी सामान्य रोकड़पुस्त के संवरण शेष का भौतिक सत्यापन नही किया गया था और न जमा का पूर्ण विवरण ही उल्लिखित पाया गया। बिहार कोषागार संहिता भाग–1 के नियम 86(iv) के अनुसार कार्यालय प्रमुख को प्रत्येक माह में संवरण रोकड़ का भौतिक सत्यापन करना है, और तत्संबंधी प्रमाण पत्र भी दर्ज करना है परन्तु कार्यालय प्रमुख द्वारा अपने दायित्वों का निर्वहन नही किया गया जो कर्त्तव्यहीनता का द्योतक है। अंकेक्षण का सुझाव है कि भविष्य में उक्त नियम का पालन किया जाय।

लेखा नियंत्रक
वित्त(अंकेक्षण)विभाग,बिहार पटना

<u>मिलान एवं शुद्धिकर्त्ता का हस्ताक्षार</u>

(1)

(2)

<u>परिशिष्ट – "क"</u>

(कंडिका – 1(ड़) के अनुसार)

अंकेक्षण अवधि में लेखा के प्रभारी पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों का नाम पदनाम तथा कार्यकाल :–

1. श्री नृपति मंडल
   उपविकास आयुक्त सारण छपरा – 21.2.04 से 23.5.05
2. श्री शिवानन्द झा
   उपविकास आयुक्त, सारण – 23.5.05 से 11.2.06
3. श्री एस0 के0 सिंह
   उपविकास आयुक्त, सारण – 11.2.06 से 9.12.06
4. श्री प्रकाश कुमार
   उपविकास आयुक्त, सारण – 25.12.06 से अद्यतन
5. श्री गरीब साहु निदेशक
   लेखा प्रशासन एंव स्वनियोजन – 16.01.04 से 31.01.07
6. श्री अजय कुमार सहायक परियोजना
   सह वरीय लेखा पदाधिकारी – 23.11.04 से 31.3.07
7. श्री लालबाबू सिंह प्रधान सहायक – 1.4.05 से अद्यतन
8. श्री देव कुमार भट्ट लेखापाल – 1.4.05 से अद्यतन

परिशिष्ट – "ख"

(कंडिका – 1(ट) के अनुसार)

अंकेक्षण में प्रस्तुत एवं अप्रस्तुत अभिलेखों की सूची :–

प्रस्तुत लेखा अभिलेखों की सूची :–

1. सामान्य रोकड़ पुस्त (योजना) वर्ष 2005–06 एवं 06–07
2. सामान्य रोकड़ पुस्त (स्थापना) वर्ष 2005–06 एवं 06–07
3. सभी शीर्षो का सहायक रोकड़ पुस्त वर्ष 2005–06 एवं 06–07
4. विपत्र पंजी वर्ष 2005–06 एवं 06–07
5. बिल रजिस्टर (चेक निर्गत पंजी) वर्ष 2005–06 एवं 06–07
6. वेतन भुगतान पंजी (स्थापना एवं म0 प्र0 पदा0) वर्ष 2005–06 एवं 06–07

7. यात्रा भत्ता भुगतान पंजी वर्ष 2005–06 एवं 06–07
8. यात्रा भत्ता विपत्रों की कार्यालय प्रतियाँ आंशिक
9. आकस्मिक अभिश्रव एवं रक्षि संचिका 05–06 एवं 06–07
10. बैंक ड्राफ्ट एवं चेक (प्राप्ति) पंजी 05–06 एवं 06–07
11. अस्थायी अग्रिम पंजी 05–06 एवं 06–07
12. सेवा पुस्त आंशिक

अप्रस्तुत लेखाभिलेखों की सूची :–

1. उच्चाधिकारियों का निरीक्षण संचिका – 2005–06 एवं 06–07
2. विस्तृत बैंक विवरणी – 2005–06 एवं 06–07
3. स्थायी एवं अस्थायी भंडार पंजी – 2005–06 एवं 06–07
4. उपयोगिता प्रमाण पत्र (सभी शीर्षो के व्ययगत राशि) – 2005–06 एवं 06–07
5. कर्म पुस्त (Loog BooK) गाड़ी सं0
   - (i) बी0 आर0 04 एस0 /0008 2005–06 एवं 06–07
   - (ii) बी0 आर0 04A/31 2005–06 एवं 06–07
   - (iii) बी0 आर0 04A/0020
   - (iv) बी0 आर0 04A/4506
   - (v) बी0 आर0 04/5579
   - (vi) बी0 एच डी0 – 3147 2005–06 एवं 06–07
   - (vii) विभिन्न जेनेरेटरो का कर्मपुस्त 2005–06 एवं 06–07
6. पूर्व अंकेक्षण प्रतिवेदन 2005–06 एवं 06–07
7. महालेखाकर का अंकेक्षण प्रतिवेदन 2005–06 एवं 06–07
8. यात्रा भत्ता की कार्यालय प्रतियाँ आंशिक
9. चार्टड एकाउन्टेट का समाधान के लिये भुगतान संबंधित संचिका/आदेश 2005–06 एवं 06–07
10. गाड़ी का इतिहास पंजी 2005–06 एवं 06–07
11. पथ वेलन से संबंधित अभिलेख

12. बैंक पास बुक 2005—06 एवं 06—07